

Speed post /त्रिव डाक

I/17014/2023

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/3/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक:

प्रेषित: खान एजेंट,  
निम्बाहेड़ा चुनापत्थर खान,  
मेसर्स जे. के सिमेन्ट वर्क्स,  
पोस्ट: कैलाश नगर, तहसिल: निम्बाहेड़ा,  
जिला: चित्तोडगढ़, राजस्थान - 312617  
ईमेल: ([mines.nbh@jkcement.com](mailto:mines.nbh@jkcement.com), [manish.toshniwal@jkcement.com](mailto:manish.toshniwal@jkcement.com))

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी निम्बाहेड़ा चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 403.1875 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

माहोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 17/08/2023 and 18/08/2023 by undersign in presence of Sri Lal Singh Pokharna, Mine Manager of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 06/12/2019 for the year 2022-23 to the extent given below:</p> <p>(1) Waste dumping was proposed in Southern extension of existing waste dump in Murlia block. However, waste dumping has been observed in Eastern side of the existing dump. Besides this, dumping of waste has also observed in scattered manner near boundary pillar P over non-proposed area.</p> <p>(2) The mine working of existing pit (Murlia Block) has been extended beyond the approved limit in Southern side.</p> <p>(3) The stripping ratio of 1:04 ton/ton was achieved against the target of 1:02 ton/ton.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

I/17014/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेडा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर